



# राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914

क्रमांक:- प. /काउन्सलिंग/रा.पै.मेडि.कौ/2023/60

दिनांक:- 13/6/23

समस्त प्रधानाचार्य कॉलेज/महाविद्यालय,  
सम्बद्ध राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल,  
जयपुर

विषय:- राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय शुल्क राशि में जमा कौशन मनी नहीं लौटाये जाने के संबंध में।

---:--

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधोहस्तारकर्ता के संज्ञान में आया है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल,जयपुर द्वारा काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत उनके दस्तावेज एवं प्रवेश के समय शुल्क राशि में जमा कौशन मनी नहीं लौटाई जा रही है। इस संबंध में कॉलेज/संस्थान/महाविद्यालयों के विरुद्ध कौंसिल में शिकायतें प्राप्त हो रही है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा 12 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु काउन्सलिंग आयोजित की जाती है। कौंसिल द्वारा प्रवेश के समय जारी विज्ञप्ति में कॉलेज/महाविद्यालय हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि:-

“संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से अधिकतम निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जायेगा”:-

- Tuition Fees-Rs. 35000 per Year**
- Caution money -Rs. 5000/- (once in course duration and refundable after completion of course)**
- Uniform Fee-Rs. 1500(once in course duration)**

अतः समस्त प्रधानाचार्य कॉलेज/संस्थान/महाविद्यालय, सम्बद्ध राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत अभ्यर्थियों को नियमानुसार शीघ्र कौशन मनी की राशि लौटाये जाने की कार्यवाही कर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(कैलाश नारायण मीना)

आर.ए.एस.

रजिस्ट्रार

क्रमांक:- प. /काउन्सलिंग/रा.पै.मेडि.कौ/2023/60

दिनांक:- 13/6/23

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- अध्यक्ष,राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल,जयपुर।
- प्रभारी, सर्वर रूम, आर.पी.एम.सी को भेजकर लेख है कि पत्र को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार